बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक.........................

संख्या–7/स्था0–1–4–04/2011सा0प्र0......................../29वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0–01/2016) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–8/वि0प्र0–02–06/2011 (199) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 24.11.2017 द्वारा अनुशंसित निम्न सफल अभ्यर्थी को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली–1955 के नियम–24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर ₹ 27700–770–33090–920–40450–44700/– के वेतनमान में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:–

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	कोटि	जन्मतिथि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	168	106876	अविनाश कुमार	पुरूष	04	12.12.1982

2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या–7/स्था0–1–4–05/2011 सा0प्र0 3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार "असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।"

6. अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थियों की सेवायें उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–4–04/2011सा0प्र0.../पटना–15, दिनांक......................................

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–4–04/2011सा0प्र0.../पटना–15, दिनांक......................................

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि पदभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की उम्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय आदि से संबंधित प्रमाण–पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लिया जाय। किसी तरह की विसंगति पाये जाने की स्थिति में विभाग को तुरन्त अवगत कराया जाय ताकि आवश्यक कार्रवाई किया जा सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त पदाधिकारी से सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली, 1977 की कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करने का निदेश देने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–4–04/2011सा0प्र0........4163........................../पटना–15, दिनांक 28.3.18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/3/18
सरकार के उप सचिव।